षोडश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03 बुधवार, दिनांक-28 नवम्बर, 2018 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.04 बजे पूर्वा० तक

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि अभी प्रश्नकाल का समय है इसलिए इसे चलने दें, साथ ही उनसे अपने-अपने आसन पर जाकर अपनी बात कहने का आग्रह किया गया ।

किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 02.12 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[1] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i)माननीय प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii)माननीय प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[2] समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन :-

माननीय सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरिनारायण सिंह द्वारा समिति का 197वाँ, 200वाँ, 201वाँ, 202वाँ, 203वाँ एवं 204वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[3] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय विधेयक</u> :-

<u>''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018''</u> :-

माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री भोला यादव एवं श्री ललित कुमार यादव का नाम आसन से पुकारा गया किन्तु माननीय सदस्य द्वारा क्रमशः विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श, जनमत जानने का प्रस्ताव, प्रवर समिति का प्रस्ताव में दिये गये संशोधन को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का नाम आसन से पुकारा गया किन्तु विधेयक के मूल पाठ में दिये गये किसी भी संशोधन को माननीय सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

तत्पश्चात् ''औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018'' सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से बार-बार अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहने का अनुरोध किया गया, किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-28.11.2018

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।